कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित
"वन धन भवन"
सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
E-mail: mfprecruitments@gmail.com; ☎ (0771) 2513100 Website: www.cgmfpfed.org

उपार्जन सलाहकारों की नियुक्ति हेतु शर्तें व चयन प्रक्रिया

1. सलाहकारों के चयन हेतु आवेदन केवल रजिस्टर्ड ए.डी. से / स्पीड पोस्ट से दिनांक 31/03/2021 अपरान्ह 3.00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे।
2. **आयु सीमा :-**
   आवेदनकर्ता की आयु दिनांक 01.04.2021 को 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
3. अनुभवः- व्यक्तिगत सलाहकार को वानिकी एवं लघु वनोपज से संबंधित कार्यों में 25 वर्ष से अधिक का क्षेत्रीय कार्यों का अनुभव होना अनिवार्य है।
4. **निवासी**- आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
5. **आवेदक हेतु अन्य निर्देश-**
   1/ विज्ञापित सलाहकारों की संख्या में आवश्यकतानुसार संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
   2/ आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर आवेदन पत्र भरे। चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आवेदक को अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा, इसके लिए किसी भी प्रकार की पृथक से सूचना नही दी जावेगी।
   3/ आवेदक जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध या दोष सिद्ध ठहराया गया हो, चयन हेतु पात्र नहीं होगा।
   4/ निर्धारित अर्हता, चयन प्रकिया तथा अन्य संबंधित जानकारी संघ के वेबसाइट www.cgmfpfed.org पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से सूचना पत्र प्रेषित नही किया जावेगा। अतः आवेदक www.cgmfpfed.org का निरंतर अवलोकन करते रहें।
   5/ विज्ञापन में तथ्यात्मक / लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, जिसकी विधिवत सूचना वेबसाईट www.cgmfpfed.org में प्रकाशित होगी। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रकिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध मे कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नही होगा।
   6/ सेवा के दौरान उभय पक्षों द्वारा एक माह का फीस अथवा एक माह का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। सेवा के दौरान अनुशासनहीनता / अनुचित व्यवहार या अनियमितता के आधार पर तत्काल प्रभाव से संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।
   7/ ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व सेवा में अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार या अनियमितता के आधार पर किसी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो तो वह चयन के लिये पात्र नही होंगे।

8/ किसी भी आवेदक द्वारा यदि गलत जानकारी प्रस्तुत की गयी है तो चयन प्रक्रिया के समय अथवा चयन के पश्चात किसी भी समय उसकी सेवा निरस्त की जा सकती है।

9/ अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार में बुलाने का यह तात्पर्य नही होगा कि उनका चयन हो गया है।

10/ चयन हेतु आवेदक की पात्रता/अपात्रता के संबंध में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर अटल नगर को होगा।

6. सलाहकार की फीस एवं अन्य सुविधा :-

6.1 चयनित किए जाने वाले सलाहकारों को संघ मुख्यालय में लघु वनापजों के उपार्जन, प्राथमिक प्रसंस्करण एवं इससे संबंधित कार्यों के लिए सलाहकार के रूप में कार्य लिया जाएगा। सलाहकार का चयन एक वर्ष के लिए होगी, जिसमें सलाहकार सेवाओं हेतु प्रतिमाह एकमुश्त राशि रू. 65,000/- प्रदान किया जाएगा, इसके अलावा किसी प्रकार की अन्य कोई भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा।

6.2 चयनित सलाहकार को कार्यालय आने - जाने हेतु स्वयं की वाहन की व्यवस्था करनी होगी। मुख्यालय से बाहर क्षेत्रीय भ्रमण हेतु वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

6.3 मुख्यालय से बाहर भ्रमण के लिए द्वितीय श्रेणी के अधिकारी के समतुल्य यात्रा भत्ता देय होगा।

6.4 सलाहकारों की नियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी। आवश्यकता होने पर कार्य संतोषजनक पाये जाने पर, की सेवाएं एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेंगी, जिसके लिए 10 प्रतिशत अधिक की फीस सलाहकार को प्रदाय की जायेगी।

7. मूल दस्तावेजों का सत्यापन -

आवेदक को संघ मुख्यालय में मूल दस्तावेजों का परीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन के समय प्रस्तुत जानकारी एवं मूल दस्तावेजों में अंकित जानकारी समान होने पर ही आवेदक की नियुक्ति पर विचार किया जायेगा । आवेदक को मूल दस्तावेजों के साथ 2 सेट में सत्यापित फोटो प्रतियां तथा 01 पासपोर्ट साईज का फोटो भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

8. चयन प्रकिया -

निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण करते हुए निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने की स्थिति में व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। आवेदनकर्ता को अपना पूर्ण बायोडाटा, अनुभव का विवरण, अनुभव एवं अन्य योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज फोटो के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा। साक्षात्कार हेतु गठित समिति द्वारा साक्षात्कार उपरांत योग्य सलाहकारों का चयन किया जाएगा।

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ रायपुर